

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 17/2016 वैवाहिक

संस्थित दिनांक 09.03.2016

अजीतसिंह पुत्र श्री रमेश लाल कुशवाह, उम्र 24 वर्ष, निवासी तारागंज काले सईयद लश्कर ग्वालियर म0प्र0।

-----आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती वर्षा पुत्री मुरारीलाल, उम्र 23 वर्ष, पत्नी अजीतसिंह कुशवाह, निवासी तारागंज काले सईयद लश्कर ग्वालियर, हाल निवासी- छत्रपुरा वार्ड नम्बर 1 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदिका

आवेदक द्वारा श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता

आवेदिका द्वारा श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 22-11-2016 को पारित किया गया //

1- वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है।

2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि अजीतसिंह (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती वर्षा (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 27.06.2012 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह उपरांत कुछ समय तक उभयपक्ष के मध्य संबंध ठीक रहे थे परन्तु उसके बाद पक्षकारों में मतभेद हो गए हैं और काफी समय से पक्षकार क्रं01 एवं

पक्षकार कं02 निरंतर पृथक पृथक रह रहे हैं। पक्षकारों में एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है और न ही भविष्य में रहने की संभावना है। आवेदक क्रमांक 1 के द्वारा शादी में मिला सारा सामान, रूपया व आवेदिका के सोने के आभूषण आदि आवेदिका को दे दिए गए हैं। जो कि उभयपक्ष के मध्य सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार तलाक सहमति से लेना तय हो गया है। पक्षकारों की शादी गोहद में सम्पन्न हुई थी तथा आवेदिका अपने पिता के घर गोहद में रह रही है इसलिये इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होने से उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 27-06-2012 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है।

3- उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 01-03-16 को पेश किया गया उसके उपरान्त आगामी तिथियां नियत की गयी। उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 अजीतसिंह एवं पक्षकार कं02 श्रीमती वर्षा को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये। पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझौता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। धारा 13(ख) हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।

4- उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया। पक्षकारों का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं01 अजीतसिंह की पक्षकार कं02 श्रीमती वर्षा विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है। आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है। उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और उनके साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है। उभयपक्ष लगभग तीन वर्ष की अवधि से अलग अलग रह रहे हैं। आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। पक्षकार कं02 श्रीमती वर्षा का पक्षकार क्रमांक 1 अजीत सिंह से कोई भी लेना देना भी शेष नहीं है।

5- उपरोक्त संबंध में विचार उपरान्त उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञा पारित

की जाती है :-

1-आवेदक पक्षकार क्रं01 अजीतसिंह तथा पक्षकार क्रमांक 2 श्रीमती वर्षा के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 27-06-2012 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)